अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेष–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला............मधुबनी.......................संख्या– 63   सन् 2011–12

केश का प्रकार –एन0एच0एक्ट की धारा–3 जी(5) के तहत एन0एच057 चौड़ीकरण में मुआवजा भुगतान हेतु।

अर्जीकार–देवनाथ मिश्र

प्रतिपक्षीः– सरकार (सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदा0) एवं परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
9/6/18	प्रस्तुत वाद आवेदक देवनाथ मिश्रा पिता– श्री धर्मनाथ मिश्रा, ग्राम–पाही, थाना–पण्डौल जिला –मधुबनी के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। इनके आवेदन का मुख्य अंश है कि राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु सरकार द्वारा उनके भूमि का अर्जन किया गया किन्तु बाजार दर से कम मुआवजा निर्धारण कर नियम का उल्लंघन किया गया। अर्जित भूमि का मुआवजा की अन्तर राशि, सांत्वना एवं सूद के साथ भुगतान करने का अनुरोध आवेदक ने किया। आवेदक के आवेदन पर वाद की प्रकिया प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी से पक्ष प्राप्त की गयी। आवेदक के आवेदन पर प्रतिपक्षी एन0एच0ए0आई0की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति आवेदक की ओर से प्राप्त की गयी जिसका मुख्य अंश है कि 3D गजट प्रकाशन के बाद अर्जित भूमि के किस्म परिवर्तन का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय। सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1429/जि0भू0अ0दिनांक–13 जुलाई 2017 से प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंश हैः– एन0एच057 में 3 D गजट 2006 के अनुसार अंचल–झंझारपुर मौजा–खड़रख, खाता–....... खेसरा–212 रकवा–0.187 हेक्टेयर, किस्म–कृषि एवं 3 डी गजट 2008 के अनुसार अंचल–झंझारपुर मौजा–खड़रख खाता–......खेसरा–212 रकवा 0.043 हेक्टेयर किस्म–कृषि का अर्जन किया गया है। अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग परियोजना निदेशक, एन0एच057 एन0एच0ए0आई0दरभंगा द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गयी तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षक कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमे प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपनाकर ही उस समय भूमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। **निष्कर्षः–** आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 3 D गजट के समय भूमि का जो स्वरूप था उसी के अनुरूप किस्म का निर्धारण किया गया है। किस्म परिवर्तन हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। सक्षम प्राधिकार को निदेशित किया जाता है कि इसकी पुनः जॉच कर ली जाय कि आवेदक को 3 डी गजट के अनुसार अर्जन के समय निर्धारित किस्म का मुआवजा भुगतान किया गया अथवा नहीं। **ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुये वाद की प्रकिया समाप्त किया जाता है।** आदेश की प्रति सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। लेखापित मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता 9/6/18 मध्यस्थ पदाधिकारी–सह अपर समाहर्त्ता, मधुबनी।	

मध्यस्थ पदाधिकारी
समाहर्त्ता

मध्यस्थ पदाधिकारी
सह ... हर्त्ता
... धुबनी